ई-ऑफिस पत्रावली संख्या-9-5002(002)/326/2023
संख्या- 227 /2023/नौ-5-2023/001-Com.No.-1772828

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी, जनपद-झांसी।
2- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।
3- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कुशीनगर, जनपद-कुशीनगर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 22 दिसंबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 03 नगरीय निकायों में जल निकासी कार्य हेतु कुल रूपये 556.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रू0 139.00 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तालीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0स0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	मऊ	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन	104.15	26.00
2	झांसी	नगर निगम झांसी	161.48	40.00
3	कुशीनगर	नगर पालिका परिषद कुशीनगर	290.93	73.00
		योग	**556.56**	**139.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्ल्ेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,39,00,000 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
22.12.2023

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 227(1) /2023/ नौ-5-2023 /001-Com.No.-1772828, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाईल/कम्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
22.12.2023

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Akhileshwar Singh GO finance-2020-21

शासनादेश संख्या- 227 /2023/नौ-5-2023/001-Com.No.-1772828, दिनांक 22.12.2023 का संलग्नक

क्र0सं0	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	**नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन , जनपद-मऊ**	**1-** वार्ड नं0-32 मुहल्ला हकीकतपुर (सलेमपुर) में मऊ-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से दक्षिणी पटरी अम्बेडकर मूर्ति से मंदिर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	24.97	
		2- रामपुर चकिया वार्ड में (सलेमपुर) डा0 ज्ञानेश्वर से लकर रामदास का मकान होते हुए आगे तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	14.71	
		3- मुहल्ला रघुनाथपुरा में तालीमुद्दीन इण्टर कॉलज के पीछे एम0जे0 ट्रेडर्स तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	24.86	
		4- रामपुर चकिया वार्ड में (सलेमपुर) रविदास चबुतरा से लेकर रामरूप मुनीब होते हुए अनिल कुमार के मकान से आगे तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	14.72	
		5- मुहल्ला रघुनाथपुरा में हाजी अजीमुल्लह के मकान से नेशनल ट्रेडर्स तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	24.89	
		योग	**104.15**	**26.00**
2	**नगर निगम झांसी , जनपद-झांसी**	**1-** वार्ड नं0-56 नरसिंह राव टौरिया के अंतर्गत पानी की धर्मशाला के पास सेजल लेडीज टेलर्स से लोकमान्य तिलक होते हुए दिव्या ट्रेडर्स तक नाला निर्माण का कार्य।	80.00	
		2- वार्ड नं0-13 कानपुर हाइवे मां पीताम्बरा केयर एण्ड क्योर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने से कोछाभांवर की ओर 260 मीटर आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	32.24	
		3- वार्ड नं0-55 झोकनबाग में संघ भवन पुलिया से गर्ग ग्लास हाउस पुलिया तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	49.24	
		योग	**161.48**	**40.00**
3	**नगर पालिका परिषद कुशीनगर , जनपद-कुशीनगर**	**1-** वार्ड नं0-17 में उमा गिरी के घर होते हुए हरिन्द्र यादव के घर खाद गड्ढा तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	22.72	
		2- वार्ड नं0-22 में नथुनी घर से अनवर के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	34.93	
		3- वार्ड नं0-19 में रामप्रवेश प्रजापति के घर होते हुए इशु के घर सरकारी बगीचा तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	29.25	
		4- वार्ड नं0-20 में राम दूबे के प्लाट से अनिरूधवा मेन गेट तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	22.83	
		5- वार्ड नं0-21 में रंजीत सिंह के घर होते हुए अशोक मद्धेशिया के घर होते हुए अजय चौरसिया के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	21.71	
		6- वार्ड नं0-21 में दिनेश मिश्रा के घर से राधेश्याम व विनोद प्रसाद के घर होते हुए अजय राव के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	14.11	
		7- वार्ड नं0-21 में विन्ध्यांचल गौड़ के घर से दिनेश शुक्ला के घर होते हुए बनारसी के प्लाट तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	32.04	
		8- वार्ड नं0-21 में दिनेश चौरसिया के घर से संजय राव के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	17.44	

-4-

		9- वार्ड नं0-21 में आलोक सिंह के घर से सुबाष सिंह के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	8.74	
		10- वार्ड नं0-26 में कसया मेन रोड पुलिया से दयानन्द , रमजान के प्लाट होते हुए खालिद के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	37.39	
		11- वार्ड नं0-26 में हाजी चौक से राधेश्याम द्विवेदी के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	20.84	
		12- वार्ड नं0-26 में नैजूल शाह के घर होते हुए बागेश्वरी तिवारी के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	25.11	
		13- वार्ड नं0-14 में बसन्त के घर से नारायणपुर आंगनवाड़ी केन्द्र होते हुए जमालुद्दीन अंसारी के घर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	3.82	
		योग	**290.93**	**73.00**
		कुल योग	**556.56**	**139.00**

22.12.2023

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-22/12/2023

प्रेषण संख्या:- 227
आवंटन आदेश संख्या:- 001-227-2023-9-5-2023-001-CN-1772828
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	झाँसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 22300000	4000000 22300000
2	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2600000 11100000	2600000 11100000
3	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7300000 91186000	7300000 91186000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13900000 124586000	13900000 124586000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनतालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ पैंतालीस लाख छियासी हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव